अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0– 171/16–17

रूपेश कुमार मिश्रा बनाम् अनुग्रहनाथ झा

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक रूपेश कुमार मिश्रा, पे0–स्व0 सत्यनारायण मिश्रा, सा0–मिश्रगंगटी, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा ने मौजा–बिन्दीचक नं0–228, जमाबंदी नं0–01, तौजी नं0–503, कुल रकवा– 11–11–06 धूर भूमि, जो गत सर्वे सेटलमेंट में मसोमात पुरनावती, जोजे अशरफी मिश्र के नाम से पर्चा में दर्ज है। उक्त भूमि से दाग नं0–62 के अंतर्गत रकवा 03–00–00 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विवदित भूमि प्लॉट नं0–62 जमाबंदी खतियान में मो0 पुरनावती के नाम नाम से दर्ज है। दाग नं0–62 की कुल भूमि 04–18–19 धूर है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। स्व0 नरसिंह मिश्र मो0 पुरनावती के एक मात्र पुत्र थे, जिनके पुत्र सत्यनारायण मिश्र हुए। सत्यनारायण मिश्र को चार पुत्र हैं, राजेश कु0 मिश्र वो रूपेश कु0 मिश्र (आवेदक) वो अम्बेश कु0 मिश्र एवं मिथुन कु0 मिश्र, जिसमें से आवेदक भी एक हैं। दाग नं0–62 की 03 बीघा जमीन विपक्षी को बटाई पर दिया गया था तथा उभय पक्षों के बीच मधुर संबंध रहने के कारण पूर्व में कभी विवाद नहीं हुआ। विपक्षी जमाबंदी रैयत के वंश से नहीं आते हैं तथा दबंग प्रकृति के व्यक्ति हैं एवं दाग नं0–62 के 03 बीघा भूमि को दखल किये हुए हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त विवादित भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा वर्णित वंशावली गलत है। सत्यनारायण मिश्र जमाबंदी रैयत के दत्तक पुत्र हैं, जो रजिस्ट्री डीड–03/14.01.1949 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है। आवेदक के पिता के जीवनकाल में ही सत्यानारायण मिश्र ने अपनी बहन किरण देवी, पति–अनुग्रहनाथ झा के साथ जमीन का पारिवारिक बटवारा किया, जिसका रजिस्ट्री डीड दिनांक–30.05.2008 को निर्गत हुआ, जिसमें दाग नं0–62 के 03–00–00 धूर भूमि किरण देवी को दिया गया। बटवारानामा पर श्री रूपेश मिश्रा एवं सत्यानारायण मिश्रा का हस्ताक्षर है। चालू पर्चा में भी उक्त भूमि विपक्षी की पत्नी किरण देवी के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने पर्याप्त जांचोपरांत दाखिल खारिज वाद सं0–239/2011–12 के द्वारा किरण देवी के नाम से 03 बीघा भूमि खेसरा सं0–62 से नामांतरण का आदेश दिया है। इस हेतु सोलह आना रैयत की नोटिस निर्गत की गई, जिसमें भी आवेदक रूपेश कुमार

मिश्र का हस्ताक्षर था, जो ज्ञापांक–71, दिनांक–16.03.2012 के रूप में निर्ग... पुनः उक्त दाग नं0 के अंश को सरकार द्वारा अर्जित किये जाने के परि... स्वरूप किरण देवी के मुआवजे की राशि मो0 55,835.00 के भुगतान से संबंधि... किरण देवी के नाम से निर्गत SBI Godda का चेक दिनांक–14.12.2012 को दिया गया है। उक्त जमीन से संबंधित अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा भू–स्वामी प्रमाण पत्र सं0–05, दिनांक–12.02.2013 किरण देवी के नाम से निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में उसपर मकान आदि बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार जिस भूमि पर मकान बना हुआ हो, उससे व्यक्ति को उच्छेद करने से रोक है। पुनः उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। अतः उच्छेद वाद चालाया जाना नियमानुसार सही नहीं है। उक्त भूमि का लगान अद्यतन विपक्षी द्वारा जमा किया जा रहा है तथा पूर्व में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, गोड्डा के न्यायालय में ळत वाद सं0–338/13 थाना काण्ड सं0–44/13 दायर किया गया था, जिसपर आवेदक एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लोक अदालत गोड्डा में दिनांक–31.08.2013 को सुलहनामा समझौता के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की गई थी। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बिन्दीचक नं0–228, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–62, कुल रकवा–04–18–19 धूर भूमि है, जिसका कैफियत अस्पष्ट है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कागजात से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि में से पारिवारिक बटवारानामा के तहत् 01–18–19 धूर भूमि सत्यनारायण मिश्र को तथा 03–00–00 धूर भूमि किरण देवी, पति–अनुग्रहनाथ झा को आपसी सहमति के तहत् प्राप्त हुआ है। इसी बटवारानामा के आधार पर अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने उक्त भूमि का दाखिल खारिज वाद नं0–239/2011–12 क रूप में किरण देवी के नाम से किया है, जिस पर कालान्तर में पेट्रॉल पम्प आदि की स्वीकृति दी गई है। साथ ही मेहरमा/ ठाकुरगंगटी सड़क चौड़ीकरण के क्रम में भी किरण देवी को मुआवजा का भुगतान किया गया है। उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज प्रतीत होते हैं। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के तहत् उच्छेद वाद की प्रकिया चलाना नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही उक्त मामला बैध उत्तराधिकारी तथा स्वत्व से संबंधित मामला है, जिसके निष्पादन हेतु वर्त्तमान न्यायालय सक्षम प्राधिकार नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा।	अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा।